

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112021-231214
CG-DL-E-17112021-231214

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4398]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 2021/कार्तिक 26, 1943

No. 4398]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2021/KARTIKA 26, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2021

का.आ. 4764(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 09 नवंबर, 2018 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5668 (अ), तारीख 09 नवंबर, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, “धारा 5क की उपधारा (1) के खण्ड क के अधीन नियुक्त” शीर्षक के अधीन क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ 2. उपाध्यक्ष

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री,

भारत सरकार,

नई दिल्ली।

सह-उपाध्यक्ष
सचिव,
श्रम और रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।”

[फा. सं. वी-20012/1/2017-एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना केंद्रीय न्यासी बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में सं. का.आ. 5668(अ) तारीख 09 नवंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात सं.का.आ. 4323(अ) तारीख 02 दिसम्बर, 2019, संख्यांक का.आ.1269(अ), तारीख 19 मार्च, 2020 और संख्यांक का.आ. 963(अ) तारीख 26 फरवरी, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2021

S.O. 4764(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India, in Ministry of Labour and Employment, S.O. 5668(E), dated the 09th November, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 09th November, 2018, namely:-

In the said notification, under the heading 'Appointed under clause (a) of sub-section (1) of section 5A', for serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“ 2. VICE-CHAIRMAN

Minister of State for Labour and Employment,
Government of India,
New Delhi.

CO-VICE-CHAIRMAN

Secretary,
Ministry of Labour and Employment,
Government of India,
New Delhi. ”

[F. No.V-20012/1/2017-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note : The principal notification reconstituting the Central Board of Trustees was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. 5668(E) dated the 09th November, 2018 and subsequently amended vide S.O. 4323(E) dated the 02nd December, 2019, number S.O. 1269(E), dated the 19th March, 2020 and number S.O. 963(E), dated the 26 February, 2021.